

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12054 / 4645

दिनांक :- 18.10.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सरिता यादव [लिंक नं. 12054] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, शाहपुरा, जयपुर - [11252] जिनकी जन्म तिथि 01/01/1990 है, का दिनांक 03/08/2018 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 03/08/2018 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री सरिता यादव के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12054 / 4645

दिनांक :- 18.10.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
3. तहसीलदार, राजस्व विभाग, शाहपुरा, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. क्लेराधिकारी जयपुर
5. श्री/श्रीमती पति / पत्नी स्व. श्रीमती श्री-मुरलीधर यादव, ढाणी नीमडा वाली, पोस्ट- नाथावाला, तहसील-शाहपुरा, , शाहपुरा, , जयपुर, राजस्थान को प्रेषित है।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)